न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 77 / 2024(GCMS 2024/294)

(आरटीआई संख्या 212142038104962)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुज गुप्ता 94, शंकर कॉलोनी,–, मीरा चौक, एसएसबी रोड, नजदीक शिव मंदिर, श्रीगंगानगर– 335001 मोबाईल नम्बर–9460733665

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

13.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुजा गुप्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2024 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें स्थानान्तरित कर दिया। प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनुजा गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को संलग्न अनुसार दिनांक 15.01.2024 को प्राप्त शिकायत पत्र पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2024

2. उक्त शिकायत पत्र प्राप्ति की दिनांक व माध्यम की प्रमाणित सूचना।
3. उक्त शिकायत पत्र के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंतर विभागीय स्तर के आंतरिक–बाह्य पत्राचार व नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां
4. उक्त शिकायत पत्र के संबंध में की गई जांच कार्यवाही के संबंध में प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्राप्ति–दिनांक व माध्यम की प्रमाणित सूचना।
5. उक्त शिकायत पत्र के संबंध में की गई जांच कार्यवाही की प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जांच दल द्वारा जांच के सबंध में जारी की गई समस्त प्रश्नावलियों, पत्रों व प्राप्त प्रत्युत्तरों की प्रमाणित प्रतियों सहित।

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(1)(1)(252)आर.टी.आई./विकास/2024/2452 दिनांक 10.11.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के उक्त प्रासांगिक पत्र के जरिये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय हाजा को हस्तांरित आपके आरटीआई के आवेदन [illegible]589 दिनांक 05.11.2024 (अद्योहस्तक्षरकर्त्ता कार्यालय को दिनांक [illegible] को प्राप्त) के क्रम में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम [illegible] के तहत चाही गई सूचना के क्रम में उपलब्ध सूचना का विवरण निम्नानुसार है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	**प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना**	**प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर**
1	श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को संलग्न अनुसार दिनांक 15.01.2024 को प्राप्त शिकायत पत्र की पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि।	दिनांक 15.01.2024 को प्राप्त शिकायत पत्र की पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उक्त शिकायत पत्र की प्राप्ति दिनांक एवं माध्यम की प्रमाणित सूचना की प्रति संलग्न **(कुल पृष्ठ–02)**
2	उक्त शिकायत पत्र प्राप्ति की दिनांक व माध्यम की प्रमाणिक सूचना	
3	उक्त शिकायत पत्र के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंतर विभागीय स्तर के आंतरिक–बाहय पत्राचार व नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित एफ37(5)(1)शिक्षा/विकास/2023/304 दिनांक 18.01.2024 की प्रमाणित प्रति **संलग्न (कुल पृष्ठ–1)**
4	उक्त शिकायत पत्र के संबंध मे की गई जांच कार्यवाही के संबंध में प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्राप्ति–दिनांक व माध्यम की प्रमाणित सूचना	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र एफ 37(5)(1)शिक्षा/विकास/2023/304 दिनांक 18.01.24 के प्रत्युत्तर में किसी भी प्रकार की सूचना/रिपोर्ट आदिनांक तक अपेक्षित है। आपके आवेदन से संबंधित इस बिन्दु के क्रम में संबंधित वांछित सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर (प्रतिलिपि संलग्न से) से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है।
5	उक्त शिकायत पत्र के संबंध में की गई जांच कार्यवाही की प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जांच दल द्वारा जांच के संबंध में जारी की गई समस्त प्रश्नावलियों, पत्रों व प्राप्त प्रत्युत्तरों की प्रमाणित प्रतियों सहित।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना (आवेदन के बिन्दु संख्या 01, 02, 03) के क्रम में उपलब्ध सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि (कुल 03 पृष्ठ) सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(1)(1)(252)आर.टी.आई./विकास/2024/67 दिनांक 14.01.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में न्यायालय द्वारा चाही गई वांछित सूचना के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती अनुजा गुप्ता द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक एफ41(1)(1)(252)आर.टी.आई. /विकास/2024/2452 दिनांक 10.11.2024 द्वारा डाक के माध्यम (रजि. पोस्ट RR270318224IN) से प्रेषित की गयी थी, परन्तु **उक्त पता पर आवेदनकर्त्ता उपस्थित नहीं होने से डाक प्राप्त नहीं की गई।** उक्त क्रम में सूचना रिकॉर्ड सहित पुनः प्रस्तुत है।

प्रभारी अधिकारी विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(1)(1)(252)आर.टी.आई./विकास/2024/2452 दिनांक 10.11.2024 से अपीलार्थी को उनके पास उपलब्ध सूचना पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक RR270318224IN से भिजवाई गई थी, परन्तु पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी उक्त पते पर नहीं मिलने के कारण, डाक वापिस प्रभारी अधिकारी, विकास शखा को प्राप्त हो गई है। प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु संख्या 4 व 5 की सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है, इसलिए अपीलार्थी बिन्दु संख्या 4 व 5 की सूचना हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर सकते है। फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना पुनः आवेदन प्रस्तुत करें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार पुनः सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested